छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **षष्ठम् सत्र**

सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 23, शक सम्वत् 1947)

[अंक 01]

Web copy

विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष	डॉ. रमन सिंह
सचिव	श्री दिनेश शर्मा

सभापति तालिका

1. श्री विक्रम उसेण्डी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. सुश्री लता उसेण्डी
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय राज्यपाल

श्री रमेन डेका

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची

01.	श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसम्पर्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
02.	श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन
03.	श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
04.	श्री रामविचार नेताम, मंत्री	आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण
05.	श्री दयाल दास बघेल, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
06.	श्री केदार कश्यप, मंत्री	संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता
07.	श्री लखनलाल देवांगन, मंत्री	वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम
08.	श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन
09.	श्री ओ. पी. चौधरी, मंत्री	वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
10.	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री	महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण
11.	श्री टंक राम वर्मा, मंत्री	खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

सदस्यों की वर्णात्मक सूची
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

अ

01.	अंबिका मरकाम, श्रीमती	56-सिहावा (अ.ज.जा.)
02.	अजय चन्द्राकर	57-कुरूद
03.	अटल श्रीवास्तव	25-कोटा
04.	अनिला भेंडिया, श्रीमती	60-डौंडीलोहारा (अ.ज.जा.)
05.	अनुज शर्मा	47-धरसींवा
06.	अमर अग्रवाल	30-बिलासपुर
07.	अरूण साव	26-लोरमी
08.	आशाराम नेताम	81-कांकेर (अ.ज.जा.)

इ

01.	इंद्र कुमार साहू	53-अभनपुर
02.	इंद्र साव	46-भाटापारा
03.	इन्द्रशाह मंडावी	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
04.	ईश्वर साहू	68-साजा

उ

01.	उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती	17-सारंगढ़ (अ.जा.)
02.	उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती	08-सामरी (अ.ज.जा.)
03	उमेश पटेल	18-खरसिया

ओ

01.	ओंकार साहू	58-धमतरी
02.	ओ.पी.चौधरी	16-रायगढ़

क

01.	कवासी लखमा	90-कोन्टा (अ.ज.जा.)
02.	कविता प्राण लहरे, श्रीमती	43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

03.	किरण देव	86-जगदलपुर
04.	कुंवर सिंह निषाद	61-गुण्डरदेही
05.	केदार कश्यप	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)

ग

01.	गजेन्द्र यादव	64-दुर्ग शहर
02.	गुरू खुशवंत साहेब	52-आरंग (अ.जा.)
03.	गोमती साय, श्रीमती	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)

च

01.	चरणदास महंत, डॉ.	35-सक्ती
02.	चातुरी नंद, श्रीमती	39-सराईपाली (अ.जा.)
03.	चैतराम अटामी	88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)

ज

01.	जनक ध्रुव	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

ट

01.	टंक राम वर्मा	45-बलौदाबाजार

ड

01.	डोमनलाल कोर्सेवाड़ा	67-अहिवारा (अ.जा.)

त

01.	तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम	23-पाली-तानाखार (अ.ज.जा.)

द

01.	दयाल दास बघेल	70-नवागढ़ (अ.जा.)
02.	दलेश्वर साहू	76-डोंगरगांव

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

03.	दिलीप लहरिया	32-मस्तूरी (अ.जा.)
04.	दीपेश साहू	69-बेमेतरा
05.	देवेंद्र यादव	65-भिलाई नगर
06.	द्वारिकाधीश यादव	41-खल्लारी

ध

01.	धरम लाल कौशिक	29-बिल्हा
02.	धर्मजीत सिंह	28-तखतपुर

न

01.	नीलकंठ टेकाम	82-केशकाल (अ.ज.जा.)

प

01.	पुन्नूलाल मोहले	27-मुंगेली (अ.जा.)
02.	पुरन्दर मिश्रा	50-रायपुर नगर (उत्तर)
03.	प्रणव कुमार मर्पची	24-मरवाही (अ.ज.जा.)
04.	प्रबोध मिंज	09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)
05.	प्रेमचंद पटेल	22-कटघोरा

फ

01.	फूल सिंह राठिया	20-रामपुर (अ.ज.जा.)

ब

01.	बघेल लखेश्वर	85-बस्तर (अ.ज.जा.)
02.	बालेश्वर साहू	37-जैजेपुर
04.	ब्यास कश्यप	34-जांजगीर-चांपा

भ

01.	भावना बोहरा, श्रीमती	71-पण्डरिया
02.	भूपेश बघेल	62-पाटन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

03.	भूलन सिंह मराबी	04-प्रेमनगर
04.	भैयालाल राजवाड़े	03-बैकुंठपुर
05.	भोला राम साहू	77-खुज्जी

म

01.	मोती लाल साहू	48-रायपुर ग्रामीण

य

01.	यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्रीमती	73-खैरागढ़
02.	योगेश्वर राजू सिन्हा	42-महासमुन्द

र

01.	रमन सिंह, डॉ.	75-राजनांदगांव
02.	राघवेन्द्र कुमार सिंह	33-अकलतरा
03.	राजेश अग्रवाल	10-अम्बिकापुर
04.	राजेश मूणत	49-रायपुर नगर (पश्चिम)
05.	रामविचार नेताम	07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)
06.	रामकुमार टोप्पो	11-सीतापुर (अ.ज.जा.)
07.	रामकुमार यादव	36-चंद्रपुर
08.	रायमुनी भगत, श्रीमती	12-जशपुर (अ.ज.जा.)
09.	रिकेश सेन	66-वैशाली नगर
10.	रेणुका सिंह सरूता, श्रीमती	01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)
11.	रोहित साहू	54-राजिम

ल

01.	लक्ष्मी राजवाड़े, श्रीमती	05- भटगांव
02.	लखन लाल देवांगन	21-कोरबा
03.	लता उसेंडी, सुश्री	83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
04.	ललित चन्द्राकर	63-दुर्ग ग्रामीण
05.	लालजीत सिंह राठिया	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)

अप्रकाशित/प्रकाशन हेतु नहीं

व

01.	विक्रम उसेण्डी	79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
02.	विक्रम मण्डावी	89-बीजापुर (अ.ज.जा.)
03.	विजय शर्मा	72-कवर्धा
04.	विद्यावती सिदार, श्रीमती	15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
05.	विनायक गोयल	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
06.	विष्णु देव साय	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)

श

01.	शकुन्तला सिंह पोर्ते, श्रीमती	06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)
02.	शेषराज हरवंश, श्रीमती	38-पामगढ़ (अ.जा.)
03.	श्याम बिहारी जायसवाल	02-मनेन्द्रगढ़

स

01.	संगीता सिन्हा, श्रीमती	59-संजारी बालोद
02.	संदीप साहू	44-कसडोल
03.	संपत अग्रवाल	40-बसना
04.	सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती	80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
06.	सुनील सोनी	51-रायपुर नगर (दक्षिण)
05	सुशांत शुक्ला	31-बेलतरा

ह

01.	हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 23, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय, (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

समय :

11.00 बजे

राष्ट्रगीत/राज्यगीत

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के साथ राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" होगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिये कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" और राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" का गायन किया गया)

समय :

11.03 बजे

निधन का उल्लेख

(1) श्री शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल.

(2) राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री.

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को आज यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल भारत सरकार में रक्षा सचिव समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों में रहे डॉ. शेखर दत्त जी का दिनांक 02 जुलाई, 2025 को 80 वर्ष की आयु में दिल्ली में देहांत हो गया है । उनका निधन प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है ।

श्री शेखर दत्त जी का जन्म 20 दिसम्बर, 1945 को होशियारपुर पंजाब में हुआ था । उन्होंने सन् 1967 से 1971 तक भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दीं । जहां सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान 218 मीडियम रेजिमेंट में डॉ. दत्त जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा और सेना पदक से सम्मानित हुए । सेना से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा आई.ए.एस. में उनका चयन हुआ । मध्यप्रदेश तथा केंद्र सरकार में कई उच्च पद पर आसीन रहे । जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.एस.ए. के डिप्टी के पद पर उसके साथ भी उन्होंने रक्षा

मंत्रालय में रक्षा सचिव के तौर पर कार्य किया । दिनांक 23 जनवरी, 2010 को छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में हमारे प्रदेश की जवाबदारी उन्हें दी गयी । दिनांक 19 जून, 2014 तक मुझे मुख्यमंत्री के नाते उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला । जहां उनके मार्गदर्शन में अनेक अवसरों पर हम सबको प्रेरित किया । राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, सक्रियता, सामाजिक कल्याण के कार्य में अभूतपूर्व योगदान दिया । दिनांक 02 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ । जिससे भारतमाता और छत्तीसगढ़ महतारी के एक कुशल प्रशासक, जनसेवक और वीर सपूत खो दिया । श्री शेखर दत्त जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, सेना के वीर कुशल प्रशासक, राज्यपाल के रूप में उनका योगदान अतुलनीय रहा । मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की आसंदी से शेखर दत्त जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ।

राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह का जन्म 23 अक्टूबर, 1945 को सक्ती में हुआ। आप प्रारंभ से सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज से शिक्षा ग्रहण की एवं एन.सी.सी. में आर्मीविंग के सार्जेंट रहे। वे सन् 1969 से 1973 तक नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष रहे। वे कांग्रेस की टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सक्ती से सन् 1977, 1980, 1985 तथा 1993 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा अविभाजित मध्यप्रदेश शासन में उन्होंने स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कल्याण तथा पर्यटन विभागों के मंत्री पद का दायित्व भी संभाला। वे नवम् एशियाई खेलों में प्रबंध समिति के सदस्य रहे। उनकी धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों के लिए विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ नेता और समाजसेवक खो दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, स्व. श्री शेखर दत्त जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर परिवारजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जब मैं शेखर दत्त जी की जीवन यात्रा को देखता हूं तो उसमें जैसी विविधता नजर आती है, वैसी विविधता कम ही लोगों के जीवन में दिखती है। उन्होंने आई.ए.एस. अधिकारी के रूप में जनकल्याण के लिए कार्य किया। सेना के 60 सर्विस कमीशन से जुड़कर वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया। युद्ध में असाधारण वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया। भारत सरकार के अनेक सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास को भी दिशा दी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं दत्त जी से मिला, एक मधुर मुस्कान से उन्होंने स्वागत किया। वे इतने स्नेह से स्वागत करते थे कि उनसे अपनापन सा हो जाता था और फिर उनसे बेहिचक अपनी बात कह सकते थे। विविध कार्य क्षेत्रों का उनका दीर्घ अनुभव हमारे राज्य के लिए विशेष रूप से तब उपयोगी हुआ, जब वे प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। मध्यप्रदेश कैडर के आई.ए.एस. होने की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ की

समस्याओं और इनके समाधान की गहराई से समझ थी। मैंने पाया कि उनमें लोगों के प्रति गहरा जुड़ाव था। उन्हें लोगों की समस्याओं को हल करने में गहरी रुचि थी। जो भी काम उन्होंने अपने हाथों में लिया, उसके लिए भरपूर होमवर्क किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्हें प्रदेश की हर बारीकी की जानकारी थी। इसके लिए वे ऐसी मेहनत करते थे, जैसे कि उन्होंने पूरा गजेटियर दिमाग में रख लिया हो। हमारा राज्य और विधान सभा सभी अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस राज्य और विधान सभा के संकल्पों को गढ़ने और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सपनों को संवारने में स्व. श्री दत्त जी की विशेष भूमिका रही है। आज हम सब पूरी कृतज्ञता के साथ उनके इस योगदान को नमन करने में जुटे हैं। मैं ईश्वर से पुनः दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सक्ती रियासत के राजा और अविभाजित मध्यप्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ का एक लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी करीब 20 वर्षों तक सक्ती क्षेत्र ही नहीं, समूचे छत्तीसगढ़ की आवाज मध्यप्रदेश विधान सभा में उठाते रहे। वे महज 18 साल की आयु में सक्ती रियासत के राजा की जिम्मेदारी संभाले थे। अनुसूचित जनजातीय वर्ग से होने के बावजूद वे सामान्य सीट से लगातार चुनाव जीतकर मध्यप्रदेश विधान सभा में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे। वे वर्ष 1977, 1980, 1985 और 1993 में सक्ती क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं तपकरा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक था, तब राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी सक्ती से विधायक चुने गए थे। वे विधान सभा में हमेशा सकारात्मक मुद्दों पर आधारित चर्चा के पक्षधर रहे। राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, सौम्य और सहज था। वह सदैव जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते और समाधान का प्रयास करते थे। उनका जीवन समाज सेवा और जनकल्याण के लिए समर्पित रहा। राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी का देहावसान न सिर्फ सक्ती क्षेत्र बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है । उनका राजनीतिक जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है । उनका समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं जन सेवा की भावना सदैव याद रखी जाएगी । मैं पुन: उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी का निधन हम सब लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है । छत्तीसगढ़ में रायपुर के आयुक्त के रूप में तथा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने सहज व्यवहार से, अपनी सहजता से और जिस प्रकार वे हर-एक व्यक्ति को सम्मान देने की कोशिश करते थे, उससे वे काफी चर्चित रहे और सबके प्रिय रहे । उनके प्रशासनिक कौशल, नैतिक मूल्य और मानवीय दृष्टि के लिए वे जाने जाते हैं । जैसा कि आपने अभी बताया कि वे 1969 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी थे और उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया । उन्होंने सेना का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया और एक

सच्चे देश भक्त के रूप में उन्होंने काम किया है मैं उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में देखता हूं । वे एक दूरदर्शी अधिकारी थे, दूरदर्शिता उनके साथ जुड़ी हुई थी । राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित एक व्यक्ति का चले जाना हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है । मैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके जैसे व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में आते रहें । भगवान् उन्हें अपनी दिव्य ज्योति में लीन करे, यही प्रार्थना है ।

राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी, 1977 से सक्ती से विधायक रहे, मैं भी उनके साथ 1980, 1985 और 1993 में तीन बार विधायक रहा । हम दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी । हम साथ-साथ आते थे, आज मैं जिस सक्ती क्षेत्र से विधायक चुना गया हूं, वह पहले वहीं के विधायक थे । उस नाते भी हमारा और उनका पारिवारिक संबंध था । उसके पहले उनके छोटे भाई वहां से विधायक हुआ करते थे, उसके पहले उनकी माताश्री वहां से विधायक हुआ करती थीं । इस तरह से हमारे परिवार के साथ उनका लम्बा जुड़ाव रहा है । हालांकि ऐसे संबंधों में पर नज़र लग जाती है । वे मुझसे बड़े थे किंतु मुझसे मित्रवत् व्यवहार करते थे । आख़िरी आख़िरी में हम दोनों के बीच कुछ खटास भी आई, मगर उस खटास से किसी को नुकसान नहीं हुआ । एक भाई के रूप में वे रहे और उनके जाने के बाद हम सब को उनकी कमी खल रही है । मुझे तो यह कहने का सौभाग्य मिल रहा है कि जब उनकी उम्र ज़्यादा हो रही थी, शादी भी करनी थी तो उन्होंने मुझे नेपाल भेजा था कि जाओ और देखकर आओ कि उस लड़की से मेरी शादी हो सकती है क्या ? मैं उनके लिए लड़की देखने नेपाल भी गया था, वहां से रानी साहब को लेकर आए । आज वे दुखी हैं, अकेली हैं और क्षेत्र के हम सब लोग उनकी देखरेख में लगे हैं । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और ईश्वर राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी की आत्मा को दिव्य ज्योति में लीन कर शांति प्रदान करे । मैं अपने विधायक दल की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय शेखर दत्त जी के निधन से हम सभी अत्यंत दुखी हैं । उन्होंने एक मार्गदर्शक और आदर्श बनकर छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा के लिए प्रेरित किया । छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने के पहले शेखर दत्त जी आई.ए.एस. अधिकारी थे, उन्होंने रक्षा मंत्रालय के सचिव, डिप्टी एन.एस.ए. और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं । स्वर्गीय शेखर दत्त जी एक कुशल प्रशासक दूरदृष्टा एवं देश सेवा के प्रति पूर्णत: समर्पित व्यक्ति थे। देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को गहरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। उन्होंने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव और अद्भुत कार्यकुशलता से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वे यहां पर राज्यपाल के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे तब उनकी चिंता पूरे देश के नक्सलवाद को लेकर दिखाई देती थी, उनकी भी सोच थी कि देश से नक्सलवाद कब खात्मा होगा, ये हर्ष का विषय

है कि आज पूरा देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, सशक्त नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, उनका ये सपना पूरा हो पा रहा है, हम सभी उसके साक्षी भी बनेंगे। स्वर्गीय श्री शेखर दत्त जी का जीवन सादगी कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट जनसेवा के आदर्श मूल्यों से परिपूर्ण था, उनके निधन से देश ने एक प्रबुद्ध और कर्मठ व्यक्तित्व को खो दिया है जिसकी भरपाई करना कठिन है। स्व. शेखर दत्त जी का निधन पूरे छत्तीसगढ़ और राजनीतिक जगत के लिए अत्यंत दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक स्व. राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वैसे तो उनके साथ कभी कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ लेकिन जैसा उनके बारे में सुना था, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। स्व. राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी का निधन हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। उनका जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है बल्कि यह हमारे राज्य और विशेषकर उस क्षेत्र के लिए एक बड़ा शून्य है जिन्होंने वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया और अविभाजित मध्यप्रदेश के समय में भी वे राजनीति में सक्रिय रहे। विशेष तौर पर हमारे जो जनजाति समुदाय हैं, उनके उत्थान की दृष्टि से उनकी जो सोच रही है, वे हम हमेशा याद करेंगे। मैं इस सदन की ओर से स्व. राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और हम उनकी स्मृति और उनके आदर्शों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी, प्रदेश और देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर जो सेवाएं दी है, वह हमेशा अमिट रहेगा। स्व. शेखर दत्त जी बड़े-बड़े पदों में रहे लेकिन उनके व्यवहार में पद का असर नहीं हुआ, बहुत ही सहज, सरल, सौम्य और मिलनसार व्यक्ति के रूप में हम सब जानते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए राज्यपाल के रूप में जो सेवाएं दी, हम सब जानते हैं। निश्चित रूप से उनके जाने से प्रदेश और देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी, सक्ती से चार बार विधायक रहे, उसके पहले उन्होंने नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी, मध्यप्रदेश में मंत्री के रूप में भी रहे और बेबाक टिप्पणी करने के रूप में जाने जाते हैं। तत्कालीन कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम हो, अपने विचार रखने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते थे और सीधा सपाट शब्दों में अपनी बात कहते थे। अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब भी हम लोग सक्ती जाते थे, उनसे मुलाकात होती थी, जांजगीर में मुलाकात होती थी, कभी रायपुर आते थे तो मिलने आ जाते थे या बुला लेते थे। एक आत्मीय संबंध राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह जी से रहा है। एक अपूरणीय क्षति हुई है, उसकी

भरपाई संभव नहीं है। मैं दोनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतक आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 10.00 मिनट के लिए स्थगित।

(11.20 से 11.34 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

11.34 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा के अनुरूप नेता प्रतिपक्ष जी बिना लाठी के आये हैं। उन्होंने बोला था कि इस बार मैं लाठी लेकर विधान सभा जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- वह कबीरहा लाठी है, दिखता नहीं है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, आपकी लाठी कहां है? आपने तो घोषणा की थी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मेरे पास लाठी है।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी, आप वह कबीरा खड़ा बाजार में वाली पंक्ति सुना दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा।

डॉ. चरणदास महंत :- जी।

कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ,
जो घर जारे आपनो, चले हमारे साथ।

अध्यक्ष महोदय :- यह जवाब आ गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप कबीर दास जी की पंक्ति पढ़ते रहेंगे और भूपेश बघेल जी की लाठी में आवाज ही नहीं है। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, एखर लाठी अइसने हे। ए मन के भीतरे-भीतर भरभरात रहिथे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, लगता है कि लाठी की जरूरत इनके लिए है।

अध्यक्ष महोदय :- लाठी वाले पाछू मा बइठे हे। (हंसी) आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। आपको और प्रदेशवासियों को इस सदन की ओर से श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत-बहुत बधाई हो। (मेजों की थपथपाहट) प्रश्नकाल। क्रमांक-1, राजेश मूणत जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (*क्र. 79) श्री राजेश मूणत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि विधान सभा सत्र दिनांक 25.02.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र.76) के उत्तर में यह बताया गया था कि जनवरी, 2024 में पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन राजस्व विभाग को सौंपा जा चुका है? **(ख)** प्रश्नांक (क) में उल्लेखित अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शिकायत के कुछ बिन्दुओं पर गृह विभाग से जांच कराने के निर्णय पर क्या हुआ एवं इसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? **(ग)** क्या प्रश्नांक (क) में उल्लेखित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी दोषीगणों पर कार्रवाई कब तक की जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) हां। **(ख)** गृह विभाग के पत्र दिनांक 19.02.2025 द्वारा प्रशासकीय विभाग पुलिस जांच अथवा एफ.आई.आर. कराने हेतु स्वयं सक्षम होने का उल्लेख कर प्रकरण राजस्व विभाग को वापस कर दिया गया। गृह विभाग के उपरोक्त टीप के परिप्रेक्ष्य मे राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा, 2024 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों से कराये जाने हेतु विभागीय ज्ञापन दिनांक 04.03.2025 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया है। **प्रपत्र संलग्न†[1] है**। **(ग)** जांच प्रक्रियाधीन होने से दोषीगणों पर कार्रवाई के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सावन मास के प्रथम सोमवार और इस सत्र के पहले प्रश्न में मुझे आपका स्नेह, प्यार व सहयोग मिला, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था और उसका उन्होंने मुझे जो उत्तर दिया है, वह सामान्यत: इस विभाग की प्रक्रिया समझ में आता है। आप प्रश्न और उसके उत्तर को भी पढ़ लें। मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या आपके विभाग में राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हुई है? मैं आपसे इस संबंध में स्पष्ट और प्वाइंटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप छोटे-छोटे प्रश्न करिये, क्योंकि जवाब भी तभी छोटा आएगा, जब आप छोटा प्रश्न करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंटेड प्रश्न ही पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- हां, आप प्वाइंटेड प्रश्न करिये, तभी उसका प्वाइंटेड जवाब आयेगा।

---

[1]† परिशिष्ट ''एक''

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी केवल यह बता दे कि राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में कुल कितने अभ्यार्थी सम्मिलित हुए और उसकी नियम-प्रक्रिया क्या थी?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री माननीय राजेश मूणत जी इस विषय में गंभीर हैं और उनको इसकी चिंता है। उनकी चिंता सही है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, गंभीर आपको होना है। (हंसी)

श्री टंक राम वर्मा :- जी अध्यक्ष महोदय, भर्ती होने से राजस्व विभाग को अमले मिल जाएंगे और काम में सहुलियत होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो परीक्षा की प्रक्रिया है, उसकी शुरूआत विधान सभा चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले हुई। इसके परिणाम फरवरी, 2024 में आये और परीक्षा परिणाम आने के बाद इसमें शिकायतों का दौर चला कि इस परीक्षा में अनियमितता हुई है और गलत तरीके से परीक्षा ली गई है। उनकी शिकायत के आधार पर हमने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर 5 सदस्यीय टीम बनाई। जब उस टीम ने इसकी जांच की तो जांच में वाकई में यह पाया गया कि इसमें कुछ अनियमितता हुई है। जैसे-भाई-भाई एक जगह बैठे हैं या अलग-अलग रिश्तेदार बैठे हैं। शिकायतकर्ता ने उनकी बातचीत की कॉल डिटेल व उनके वाट्सअप की चैटिंग की जानकारी भी मांगी है। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की कमेटी ने यह तय किया कि हमारा विभाग इतनी गहराई तक जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमने गृह विभाग को पत्र लिखा तो गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा कि विभाग सक्षम है, इसलिए वह एफ.आई.आर. करें और इसकी जांच करायें। चूंकि इसमें निचले स्तर तक पहुंचना, कॉल डिटेल निकालना, वाट्सअप ग्रुप के मैसेज व मोबाइल का लोकेशन निकालना संभव नहीं था, इसलिए इस मामले को फिर से ई.ओ.डब्ल्यू. को दिया गया है और ई.ओ.डब्ल्यू. ने इस मामले में जांच करना प्रारंभ कर दिया है। हमारे विभाग से 41 बिंदुओं में जानकारी मांगी गई है और किन-किन अधिकारियों से पूछताछ करना है, उसकी भी अनुमति ली गई है और उनको अनुमति भी दी गई है। यह हमारी स्पष्ट मंशा है कि किसी को बचाना नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जितने भी इस तरह के लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से पी.एस.सी. की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच हुई तो हम उसकी गहराई तक गये, उसी तरह से हम तो चाहते हैं कि इस परीक्षा में जिन्होंने भी गड़बड़ी की है, उन वास्तविक दोषियों तक हम पहुंचे और उन पर कार्रवाई हो। ई.ओ.डब्ल्यू. वहां तक जरूर पहुंचेगी। जैसे भारत माला परियोजना में गड़बड़ी हुई तो उसको ई.ओ.डब्ल्यू. को सौंपा गया और वह उसकी निचले स्तर तक जांच कर रही है, जिससे एक-एक करके सभी दोषी व्यक्ति सामने आ रहे हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि ई.ओ.डब्ल्यू. इसमें जांच करके दोषी व्यक्तियों को चिन्हांकित करें और कार्रवाई करें और उन पर कार्रवाई करें।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, मंत्री जी को विभाग में आए हुए 9 दिन भी नहीं हुए थे, परीक्षा सम्पन्न करा दी गई। मैं उस विषय पर भी नहीं

जाना चाहता हूं। विभाग ने 5 अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की कमेटी बनाई, उन अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। बहुत लम्बी रिपोर्ट है। अगर आप कहें तो मैं इसके कुछ अंश पढ़ देता हूं। लेकिन मैं कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहता हूं, जो रिपोर्ट में कामन दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- जो प्रश्न उद्भुत होते हैं, उस प्रश्न को करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यही है कि जब रिपोर्ट के अंदर यह तथ्य स्पष्ट आ गया कि विभाग के अंदर के कुछ लोगों ने परीक्षा में त्रुटियां की हैं। पी.एस.सी. की परीक्षा की तरह, भाई-भाई, रिश्तेदार आपस में बैठाकर उनका रोल नंबर लगा हुआ है। साली भी पास में बैठी है और जीजा भी बैठा है, उनकी धर्मपत्नि भी बैठी हैं। तीनों एक साथ टेबल में बैठकर एक साथ लिख रहे हैं। जो बार कोड वाली कॉपी होती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अलग से उल्लेख नहीं हो सकता, लेकिन उसमें फोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखा गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि यह सब गलत है, अनियमितता पाई गई है। विभाग में रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है ? मेरा सीधा प्रश्न है कि जब आपके संज्ञान में आ गया, आपको कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, आपने 5 उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी बनाईं। ये छोटे-मोटे अधिकारी नहीं हैं। जो कमेटी में थे, मैं उनके नाम आपके संज्ञान में लाना चाहता हैं। श्री के.जी. कुंजाम विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, श्री फरिया आलम सिद्धिकी उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, श्री अजय त्रिपाठी उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, श्रीमती अंशिका ऋषि पाण्डेय उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्री राकेश साहू अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग हैं। जब शासन स्तर के विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों ने पूरी रिपोर्ट सौंप दीं। रिपोर्ट को संज्ञान में लेने के बाद भी विभागीय तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता लोग लगातार शिकायत करते रहे, आपने गृह विभाग को भेजा तो गृह विभाग ने स्वीकार किया। गृह विभाग ने कहा कि विभाग कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। उसके बाद भी विभागीय कार्रवाई ना करके आपने ई.ओ.डब्ल्यू. को भेजा है, उसमें जांच के कितने बिन्दु हैं, आपने कब भेजा है और उसमें क्या-क्या शर्तें हैं और आपने किसे जांच करने के लिए भेजा है, उसका स्पष्ट उल्लेख कर दीजिये।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी ने जो जांच की है, उसमें उन्होंने अंतिम निष्कर्ष में यह लिखा है कि शिकायत के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत टीप एवं अनुषांगिक दस्तावेजों का परीक्षण एवं परिशीलन उपरांत समिति द्वारा यह यह निष्कर्षित किया जाता है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनके द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा प्रदाय की गई टीप एवं दस्तावेज से यह परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक विभागीय

परीक्षा 2024 का संचालन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप एवं पूर्व वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की ही भांति किया गया है। परन्तु परीक्षा संचालन में उपरोक्तानुसार त्रुटियां विद्यमान हैं, जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित किया जाता है, यह निष्कर्ष में लिखा गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि call details, whattsapp group, massage, mobile location की जांच, माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी तो हुई हैं, जांच कमेटी ने स्वीकार किया है। लेकिन वाकई में परीक्षा संचालन में जो दोषी हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमारी कमेटी सक्षम नहीं है। इसलिए ई.ओ.डब्ल्यू. को जांच के लिए दिया है, ताकि जो दोषी लोग हैं, वहां तक पहुंचे और प्रमाणित करें तथा जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, यह हमारी मंशा है। जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके प्रति सहानुभूति नहीं है। हम चाहते हैं कि उन पर ठोस कार्रवाई हो।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, चलिये आखिरी प्रश्न करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेन पैराग्राफ है, उसको मंत्री जी नहीं पढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, यह डिपार्टमेंट की जांच कमेटी की रिपोर्ट के अंदर आखिरी पैरा में लिखा गया है कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदाय किए गए टीप एवं दस्तावेज से यह परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा वर्ष 2024 का संचालन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप एवं पूर्व वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की भांति किया गया, परंतु परीक्षा संचालन में उपरोक्त त्रुटियां विद्यमान हैं, जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया। अब इसके आगे वह और क्या लिखेगा? कमेटी ने स्पष्ट लिख दिया है और मंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं। मंत्री जी, आप आधी-अधूरी जानकारी पढ़ रहे हैं। जो असली रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर एक में ही नहीं, बल्कि इसमें जो-जो कमेटी के रिपोर्ट है। आप कहेंगे तो इस कमेटी की रिपोर्ट को मैं पटल पर रख देता हूं। इसके बाद भी पूर्व में जो अधिकारी दोषी है और जिन लोगों ने मिलकर यह संरचना रची है। यह आपके कार्यकाल का मामला नहीं है, बल्कि यह पूर्व सरकार के कार्यकाल का मामला है। उन्हीं लोगों के कारण यह सब प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। पी.एस.सी. घोटाला, पटवारी घोटाला, यह सभी घोटाला उन्हीं लोगों के समय का है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- कल परीक्षा में पी.डब्ल्यू.डी. घोटाला हुआ है, उसको भी आप बता दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, हमारे बालोद जिला में पी.एस.सी. घोटाला हुआ है। आपने ओ.बी.सी. के अभ्यर्थी को अनुसूचित जनजाति वर्ग में भरवाया है।

श्री राजेश मूणत :- (व्यवधान) मूल्यांकन करा लेना, जिसकी जांच करा रहा हूं। जो किया है, वह सामने है। यह दस्तावेज आपकी सरकार के समय का है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 73वें नंबर पर मेरा भी सेम प्रश्न लगा है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह स्पष्टता चाहता हूं कि कौन सी तारीख को परीक्षा हुआ था, इसको मंत्री जी इसको स्पष्ट करें?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मंत्री जी, कौन सी तारीख को परीक्षा हुआ था, उसको आप स्पष्ट करिये क्योंकि आप पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते । यह वर्ष 2023-2024 का मामला है। यह आपके ही शासनकाल का मामला है। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- 7 जनवरी, 2024 को आपकी सरकार में घोटाला हुआ है। लोगों को वहां पर होटल में रूकवा कर पूरी प्रैक्टिस कराई गई। (व्यवधान) हम सबने देखा है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। जो बोलना है, वह मंत्री जी को बोलने दीजिए। बाकी लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जिस परीक्षा में जो भी गड़बड़ी हुई है, जो दोषी है, उस पर ठोस कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय मंत्री जी, ओ.बी.सी. के अभ्यर्थी को अनुसूचित जनजाति वर्ग में परीक्षा दिलवाया गया, उसका आप क्या कहेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अनुमति लेकर बोलिये, यह प्रश्नकाल है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाईये। अभी प्रश्नकाल है। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी को नहीं बख्शेंगे। मैं इस बात का बिल्कुल स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जीरो टॉलरेंस है। हम लोग मिलकर नहीं, जिन्होंने भी गड़बड़ी की है, उनके शिकंजे चालू हैं और कई लोगों का wait कर रहे हैं। आप लोग ज्यादा चिंता मत करिए। लेकिन ई.ओ.डब्ल्यू. को केस दिए हैं। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, उसकी शर्ते क्या है? यहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके, ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराकर क्या अगले सत्र के पहले इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई कर देंगे? मैं आपसे इतना ही आश्वासन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बताईये। अगले सत्र के पहले तक कार्यवाही करेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग ई.ओ.डब्ल्यू. से 41 बिन्दुओं में सारी जानकारी ले चुका है और पूछताछ के लिए भी अनुमति ले चुका है। इसमें यथाशीघ्र जांच होगी और प्रयास यह रहेगा कि आने वाले सत्र के पहले इसमें कार्रवाई होगी। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अजय जी। बहुत बढ़िया। एक छोटा प्रश्न पूछिये। बहुत अच्छा जवाब गया है। उन्होंने समय-सीमा बता दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न है। इसमें गृह विभाग ने कहा कि एफ.आई.आर. करवाने के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम है। दोनों co-ordinate हैं। पहला, इसमें गंभीर अनियमितता है तो इसमें एफ.आई.आर. क्यों नहीं कराई गई? दूसरा, आप परिशिष्ट पढ़ेंगे तो राजस्व विभाग का जो पत्र गया है, उसमें लिखा है कि ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी.। ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराने का निर्णय किसने लिया? एफ.आई.आर. तत्काल हो सकती थी, लेकिन घुमाने के लिए ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. लिखा गया है। ई.ओ.डब्ल्यू. से जांच कराने का निर्णय किसने लिया है? विभाग ने तो नहीं लिया है, यह विभाग ने तो नहीं लिया है, उन्होंने तो सिर्फ पत्र भेजा है । दूसरे के विभाग में ई.ओ.डब्लू. जांच करने का निर्णय ले सकता है, यह बताने का कष्ट करें ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, कुछ बोलेंगे । एक मिनट, जवाब आ रहा है ।

श्री टंकराम वर्मा :- विषय की गंभीरता को देखते हुये ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं विषय की गंभीरता से सहमत हूँ । दूसरी चीज पूछ रहा हूँ । विषय की गंभीरता है तो मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ, आपको कहा कि एफ.आई.आर. करवाईये । आप सक्षम हैं, आपने एफ.आई.आर. नहीं करवाया है । आपने ई.ओ.डब्लू. या ए.सी.बी. से जांच कराने बाबत पत्र भेजा है, आपके विभाग में ई.ओ.डब्लू. जॉच हो, यह निर्णय किसने लिया ? आपने दो मत दिया है, ई.ओ.डब्लू, जॉच दूसरे विभाग ने करवाया है तो आपने दो मत दिया है, ई.ओ.डब्लू. जॉच किसने करवाया, किसके निर्णय से ई.ओ.डब्लू. जांच हुआ है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गृह विभाग प्रशासकीय विभाग को सक्षम मानते हुये एफ.आई.आर, दर्ज कराने और खुद को ही काम करने के लिये वापस किया गया तो विभाग की ओर से ही भ्रष्ट्राचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुये ई.ओ.डब्लू. को विभाग के द्वारा सौंपा गया ।

अध्यक्ष महोदय :- विभाग ने...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पत्र को पढ़ लीजिए, आपसे आग्रह है, यह विधान सभा की प्रापर्टी है, विभाग ने ई.ओ.डब्लू./ए.सी.बी. जॉच लिखा है, उसमें ए.सी.बी. जॉच लिखा है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि ई.ओ.डब्लू. जॉच का निर्णय किसने लिया है ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने बता दिया है कि विभाग ने ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें विभाग ने तो ए.सी.बी./ई.ओ.डब्लू. लिखा है ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2024 में राजस्व निरीक्षक की यह विभागीय परीक्षा हुई है । मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जनवरी 2024 में ही विभाग के द्वारा राजस्व निरीक्षक की परीक्षा ली गई और माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि यह पिछले सरकार की है । यह परीक्षा कब हुई है, आपके सरकार आने के बाद हुई है कि पहले हुई है ?

श्री टंकराम वर्मा :- सितम्बर 2023 में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई और जनवरी में ही उनकी परीक्षा हुई और फरवरी में उसका रिजल्ट आया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप ही के सरकार में ...। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- हमारे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं । यह आपके सरकार में हुआ है । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- उसे अपने पास रखा हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं की गई । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- झूठे आरोप लगाना बंद करें । एफ.आई.आर. दर्ज करें ।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, जब तक उन्हीं के विषय पर चल रहा था, तब तक आपत्ति नहीं थी । कांग्रेस का विषय आ गया तो आपत्ति में सब खड़े हो गये हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, कुलमिलाकर विभाग इनका है और गृह विभाग को पत्र लिखा गया । ए.सी.बी. या ई.ओ.डब्लू. का विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है तो निर्णय किसने लिया, यह आपका प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्ट्राचारियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है । (शेम-शेम की आवाज) क्या माननीय मंत्री जी इसे सी.बी.आई. को सौंपेंगे, इसमें सारा घालमेल दिखाई दे रहा है, क्या इसकी सी.बी.आई. से जॉच करायेंगे ?

श्री रिकेश सेन :- आपको सी.बी.आई. पर भरोसा है । (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आपको सी.बी.आई. जांच पर विश्वास है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभी जगह भ्रष्टाचार चल रहा है (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- आप सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहे हैं । आपको सी.बी.आई. के ऊपर में विश्वास है ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आपकी सरकार सी.बी.आई. जांच कराए न । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- भ्रष्टाचार पर तो जांच होनी चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं आपसे पूछ रहा हूं न । आपको सी.बी.आई. जांच पर विश्वास है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- धरम जी, बैठिए । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- सी.बी.आई. से जांच कराना होगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, बहुत हो गया । (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष जी, आप पूछ लीजिए कि इनको सी.बी.आई. पर भरोसा है या नहीं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । हम उनके उत्तर से असंतुष्ट हैं इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :-

11.56 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-2 श्री देवेन्द्र यादव ।

प्रश्न संख्या : 2 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-3 श्री अजय चन्द्राकर ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं आ गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आ गए तो अब प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई, लेकिन मैं आ गया हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई, माननीय अध्यक्ष जी ने मेरा नाम पुकार लिया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम पुकार लिया गया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो लाईन कहना चाहूंगा । आपकी फाईलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े असत्य हैं । ये दावा किताबी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- देवेन्द्र जी, मेरा नाम पुकार लिया गया है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सरल शब्दों में इस प्रदेश के...

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई है, अध्यक्ष जी ने मेरा नाम पुकार लिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र जी, आप अनुपस्थित थे, अब प्रोसीडिंग आगे बढ़ गई है । प्रश्न संख्या-3 पुकारा गया है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है ।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, सदन में अनुशासन का पालन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपका आदेश होगा, उसका पालन करेंगे ।

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर अंतर्गत सेटअप अनुसार पदों की भर्ती

[उच्च शिक्षा]

3. (*क्र. 14) श्री अजय चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में सेटअप अनुसार कौन-कौन से, कितने-कितने पदों की स्वीकृति प्राप्त है तथा उन पदों की भर्ती हेतु कब-कब विज्ञापन जारी किया गया व भर्ती हेतु क्या-क्या नियम शर्ते रखी गयी? **(ख)** क्या उक्त भर्ती के दौरान आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है ? यदि हां तो आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदों की जानकारी बतायें? **(ग)** उक्त भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है या पूर्ण हो चुकी है? यदि पूर्ण हो चुकी है तो आरक्षण रोस्टर के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का नाम, पदनाम सहित बतायें और स्थगित है तो उसका कारण क्या है तथा तक तक पुनः प्रारंभ कर, पूर्ण कर ली जायेगी? **(घ)** क्या उक्त भर्ती के संबंध में शिकायत प्राप्त हुयी है? यदि हां तो किनके द्वारा, कब एवं किन-किन बिन्दुओं पर शिकायत की गयी है और उस पर कब व क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रपत्र-अ संलग्न[2] है। विश्वविद्यालय में 59 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-10, सह प्राध्यापक-19 एवं सहायक प्राध्यापक-30) की भर्ती हेतु दिनांक 05.10.2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 में उल्लेखित नियम अनुसार शर्ते रखी गई है। **(ख)** हां, **प्रपत्र-ब संलग्न** है। **(ग)** विज्ञापित 10 विभाग में से 08 विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची **प्रपत्र-स संलग्न** है। शेष 02 विभाग में आवेदन प्राप्त न होना एवं

[2] परिशिष्ट "तीन"

उपर्युक्त अभ्यर्थी नहीं होने के कारण भर्ती नहीं की गई। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** हां, **प्रपत्र-द संलग्न** है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा । महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया के कुछ बिन्दु मैं आपको बता देता हूं । आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय नहीं, जितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें आरक्षण के रोस्टर का पालन हो, भर्ती नियमों का पालन हो और जो यू.जी.सी. रेगुलेशन एक्ट का पालन हो, ये सुनिश्चित किया जाये । इस भर्ती में न तो आरक्षण का पालन किया गया है, मनमानी की गई है । आप यह देखिए कि 46 वर्षीय एक आदमी का चयन किया गया, 54 साल के एक व्यक्ति का चयन किया गया है, 42 साल के व्यक्ति का चयन किया गया, एक 48 साल के व्यक्ति का चयन किया गया है । यू.जी.सी. रेगुलेशन के बाद उसमें/इसमें नियम निर्देश नहीं हैं, नियम-निर्देश हमारे भर्ती नियम में है, जिसमें 40 साल से अधिक के व्यक्ति की भर्ती नहीं की जा सकती, पर उत्तर प्रदेश के 42 साल के आदमी की भर्ती की गई है । पोर्टल कितनी बार बंद किया, कितनी बार शुरू किया गया, यह कुलपति की मर्जी पर था । विज्ञापन में सहायक प्राध्यापक के पद हैं, जिसकी स्वीकृति उच्च शिक्षा विभाग या वित्त विभाग ने नहीं दी है । यदि मैं बिन्दुवार गिनाऊंगा तो समय नहीं रहेगा । समय 11.59 हो गया है । आपसे अनुरोध है कि इसकी पूरी जांच करवाने की घोषणा कर दीजिए और समयबद्ध हो क्योंकि जांच के बाद भी उन्होंने 11 पदों में नियुक्ति जारी की है ।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में जो भर्ती हुई है, उसके संबंध में शिकायतें मिली थीं और उसमें डॉ. एच.पी. खैरवार, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है । अभी उसमें जांच हो रही है । उसमें जांच रिपोर्ट आ जाने पर इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है और हम इसमें तत्काल कार्रवाई, एफ.आई.आर. करने की मांग करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय:

12.00 बजे

कार्यमंत्रणा समिति का षष्ठम प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2025 में दिए गए निर्णय अनुसार विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए सम्मुख अंकित समय का निर्धारण करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

शासकीय विधि विषयक कार्य

1.	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक, 2025	30 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2025	30 मिनट

इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश की स्वीकृति की जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव पारित हुआ।

समय:

12.01 बजे

सदन को सूचना

नवीन विधान सभा भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का निरीक्षण एवं विधान सभा परिसर में "एक पेड़ मॉ के नाम" के तहत वृक्षारोपण

अध्यक्ष महोदय :- आज दिनांक 14 जुलाई, 2025 को दोपहर सभा की कार्यवाही स्थगित होने के पश्चात् नवीन विधान सभा भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का निरीक्षण एवं विधान सभा परिसर में "एक पेड़ मॉ के नाम" के तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उप मुख्य मंत्री, माननीय मंत्रीगण एवं समस्त माननीय सदस्यगण से अपेक्षित है कि वृक्षारोपण हेतु नवीन विधान सभा भवन परिसर में उपस्थित होने का कष्ट करें। इस हेतु वाहनों की व्यवस्था है।

समय:

12.02 बजे

अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्यों हेतु जैव विविधता एवं वेटलैंड संरक्षण के संबंध में कार्यशाला

अध्यक्ष महोदय :- दिनांक 20 मार्च, 2025 को डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की ओर से लोक जैव विविधता पंजी तैयार नहीं करने तथा वेटलैंड स्थलों पर अपेक्षित कार्य नहीं होने के संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया था। इस ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों की ओर से आये सुझावों के आधार पर जैव विविधता एवं वेटलैंड संरक्षण के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित कराने हेतु आसंदी द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसके तारतम्य में माननीय वन मंत्री जी द्वारा सहमति दी गई थी।

आज दिनांक 14 जुलाई, 2025 को नवीन विधान सभा परिसर में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के उपरांत नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से माननीय सदस्यों हेतु जैव विविधता एवं वेटलैंड संरक्षण के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

कार्यशाला के पश्चात् अरण्य भवन में ही वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की ओर से सदस्यों के लिए दोपहर भोज की भी व्यवस्था की गई है।

इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उप मुख्य मंत्री, माननीय मंत्रीगण एवं समस्त माननीय सदस्यगण आमंत्रित हैं।

समय:

12.03 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-36/2024/वाक/पांच (65), दिनांक 23 अगस्त, 2024

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-36/2024/वाक/पांच (65), दिनांक 23 अगस्त, 2024 पटल पर रखता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखता हूँ।

समय:

12.04 बजे **फरवरी-मार्च, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

अध्यक्ष महोदय :- फरवरी-मार्च, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय:

12.05 बजे **नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उन के उत्तरों का संकलन सचिव विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय:

12.06 बजे **राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- षष्ठम् विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर तथा फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में पारित कुल 14 विधेयकों में से 12 विधेयकों

पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्रापत विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- षष्ठम् विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर तथा फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में पारित कुल 14 विधेयकों में से 12 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

समय:

12.07 बजे

सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री विक्रम उसेण्डी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. सुश्री लता उसेण्डी
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश के किसान डी.ए.पी. खाद के लिए हर सोसायटियों में भटक रहे हैं और व्यापारियों के पास जा रहे हैं। सोसायटियों में खाद नहीं मिल रहा है और इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। वे इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है कि हमारी सोसायटियों में खाद उपलब्ध नहीं है और वहीं व्यापारियों के पास 1800 रूपये और 2000 रूपये में खाद खुलेआम बिक रहा है। यह मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन किसान यह शक कर रहे हैं कि आपने जानबूझकर बाजार में खाद बंद करवा दिया है ताकि फसल कम हो। यह आपकी साजिश है। इस तरह से आप जो कह रहे हैं कि ईरान और यूक्रेन की युद्ध की स्थिति में हो जाने के कारण हमको खाद नहीं मिला तो यह युद्ध तो बहुत दिनों से चल रहा है। आपको पहले ही खाद की व्यवस्था करनी चाहिए थी। यदि खाद नहीं मिल रहा है तो आप आज उसके

लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको पहले कर लेते। आज वैकल्पिक व्यवस्था करने के बावजूद भी किसान आपके प्रति विश्वास नहीं रख रहे हैं और किसान चाहते हैं कि आप किसी न किसी तरीके से उन्हें डी.ए.पी. खाद उपलब्ध करवायें। आपने 3 लाख 10 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य रख दिया और आज आप 32 प्रतिशत भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह जो किसानों में आक्रोश है, रोष है, वह कहीं विस्फोटक स्थिति प्राप्त न कर ले इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप मेरा स्थगन स्वीकार कर ले। हम इस पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद आप कोई नया निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय :- बस हो गया। ज्यादा लंबा मत करिये। भूपेश जी, आप बोल लीजिये।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की अकर्मण्यता, निष्क्रियता के कारण पूरे प्रदेश में खाद की कमी, बीज की कमी और बिजली कटौती हो रही है जिससे आम किसान त्रस्त है। पूरे प्रदेश में किसी भी सोसायटी में खाद नहीं है। अप्रैल में भण्डारण हो जाता था लेकिन इस समय अप्रैल में कोई भण्डारण नहीं हुआ। जिस प्रकार से आपने आंकड़े दिये, आपका जो 3 लाख का लक्ष्य है, उसमें 86 हजार मीट्रिक टन उपलब्ध है और इस कारण किसानों में भारी आक्रोश है। किसी भी सोसायटी में खाद नहीं मिल रहा है। न उन्हें डी.ए.पी. मिल रहा है, न यूरिया मिल रहा है। आप उन्हें वैकल्पिक खाद दे रहे हैं जो गुणवत्ताविहीन है, डुप्लीकेट है। किसान उसे खेत में डाल रहे हैं तो वह घुल नहीं रहा है। किसान बाहर के बाजारों से खाद खरीदने के लिए बाध्य है। वे 1300 रूपये की डी.ए.पी. खाद को 1900 रूपये और 2000 रूपये प्रति बोरी खरीद रहे हैं। पहले इसकी बोरी 50 किलो की होती थी, वह अब 40 किलो की हो गई है। वह भी आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस स्थगन को ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- उमेश पटेल जी, बोलिये। भूपेश जी, आपने बोल लिया।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं। आप और बोलना चाहते हैं तो और बोल लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश सर आंखों पर। आपने बोल दिया तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती की शुरूआत के लिए डी.ए.पी. बहुत आवश्यक खाद है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा कि किसानों को ऐसा लग रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आरोप है कि उत्पादन को घटाने के लिए यह सरकार जानबूझकर डी.ए.पी. खाद को रोक रही है। यही डी.ए.पी. हमारी सोसायटियों में नहीं है और 1800 रूपये और 2000 रूपये में बाहरी दुकानों से मिल रहा है जिसके कारण किसानों की उत्पादन लागत बढ़ते जा रही है। डी.ए.पी. के बिना

खेती की शुरूआत बहुत मुश्किल हो जायेगी और उत्पादन बहुत ज्यादा कम होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस स्थगन को ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराये।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान प्रकृति के साथ जुआं खेलता है। वह तो प्रकृति की मार से मरता रहता है परंतु यदि प्रशासन भी समय पर खाद उपलब्ध न करा पाये तो यह किसानों के लिए कितना दुर्भाग्यजनक है। आज हमारा जो खाद आता है, चाहे वह किसी भी कंपनी का हो चाहे ईफको का हो, चाहे आई.पी.एल. का हो परंतु उस पर किसका कंट्रोल है ? मार्कफेड बोलता है कि उसे कृषि विभाग जाने, कृषि विभाग बोलता है कि उसे मार्कफेड जाने। व्यापारियों का खाद उनके पास क्यों चला जाता है ? पर हमारी सोसायटियों के पास खाद क्यों नहीं जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हमारी पार्टी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप उस पर चर्चा करवायें ताकि पता तो चले क्योंकि मार्कफेड अपना पल्ला झाड़ता है और कृषि विभाग अपना पल्ला झाड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

समय :

12:12 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी से उत्पन्न समस्या

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में 23 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

चूंकि डॉ. चरणदास मंहत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :-

छत्तीसगढ़ की 70 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। कृषि हमारी जीवन रेखा है। प्रदेश में 40.10 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें से 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। यह राज्य मुख्यतया धान का एक फसलीय खरीफ राज्य है। कृषि विभाग का यह अहम् उत्तरदायित्व है कि समय पर किसानों की मांग के अनुसार खाद और बीज उपलब्ध कराये, परंतु खरीफ के फसल हेतु किसानों की जो प्रारंभिक आवश्यकता होती है, खाद और बीज की उसे भी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार असफल हो रही है। पूरे प्रदेश में डी.ए.पी. तथा यूरिया खाद की कमी बनी हुई है। यह खाद धान की बोनी तथा रोपाई के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। डी.ए.पी का निर्धारित लक्ष्य खरीफ 2025 के लिए तीन लाख दस हजार मी.टन था, जो विगत खरीफ फसल 2024 से तीस हजार टन कम था। खरीफ 2025 हेतु अब तक मात्र एक लाख एक हजार मी.टन की ही आपूर्ति हुई है। यूरिया का लक्ष्य 7.12 लाख टन था, परंतु आपूर्ति केवल 3.59 लाख टन की गई है। इन दोनों खादों की आपूर्ति ही पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई। जब इन खादों के लिए सैकड़ों स्थानों पर किसानों द्वारा आंदोलन किया जाने लगा तो राज्य सरकार ने डी.ए. पी. के लक्ष्य को ही तीन लाख दस हजार मी.टन से संशोधित करके मात्र एक लाख तीन

हजार टन कर दिया। लक्ष्य को इस प्रकार से कम किया जाना उचित नहीं है सरकार को यह ज्ञात था कि डी.ए. पी. तथा यूरिया की उपलब्धता देश में बहुत कम है, तो फिर लक्ष्य को क्यों बहुत अधिक निर्धारित किया गया। जब किसानों के द्वारा पूरे राज्य में आंदोलन किया जाने लगा तो कई प्रकार के विकल्पों को किसानों के सामने प्रस्तुत किया गया। विकल्पों में से एक है अन्य खादों का मिश्रित प्रयोग वाला विकल्प जो कृषि की लागत को बहुत बढ़ाने वाला है एक और विकल्प है, नैनो डी.ए.पी. (तरल) तथा नैनो यूरिया (तरल), किंतु खरीफ के धान में तरल खाद का प्रयोग अव्यावहारिक होने के कारण किसानों के द्वारा नहीं किया जाता। खाद का कृत्रिम संकट पैदा कर राज्य सरकार धान के उत्पादन को कम करना चाहती है। इसीलिए खाद और बीज की कम आपूर्ति की गई। धान बीज की मांग 4,32,159 क्विंटल थी, परंतु सहकारी सोसायटियों में भंडारण मात्र 3,83,169 क्विंटल का हुआ है। हाई ब्रीड बीज तो शासकीय या सरकारी क्षेत्र से वितरण किया ही नहीं जाता है। निजी क्षेत्र में नगदी में खाद उपलब्ध है, परंतु सहकारी क्षेत्र में शार्टेज का लाभ उठाकर दोनों खादों की निजी दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं। लघु एवं सीमांत कृषक कृषि ऋण की राशि से सहकारी समितियों से खाद लेते हैं। इसलिए सर्वाधिक परेशानी इन्हीं किसानों को हो रही है।

डी.ए.पी तथा यूरिया का शार्टेज तो खरीफ 2024 से प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में खाद और बीज की कमी के लिए पूरी तरह से सरकार ही उत्तरदायी है।

विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करेंगे।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है तथा लघु एवं सीमांत कृषकों की बहुतायत है। राज्य शासन ने लघु, सीमांत एवं सभी वर्ग के कृषकों को उन्नत कृषि से संबंधित सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। राज्य में कृषि आदानों का भंडारण माह अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया है, कृषकों को मृदा परीक्षण की अनुशंसा के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग हेतु जागरूक करने "29 मई से 12 जून" तक "विकसित कृषि संकल्प अभियान" भी चलाया गया। इस अभियान के दौरान ड्रोन तकनीक का उपयोग, वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में कृषि वैज्ञानिकों तथा विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। यह अभियान राज्य के 2817 ग्रामों में 96 दलों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। 314 कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास तथा मछलीपालन विभाग से संबंधित 4492 अधिकारियों द्वारा 16,813 जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से 2 लाख 69 हजार से अधिक कृषकों से प्रत्यक्ष संवाद एवं परिचर्चा की गई।

चूंकि फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता मुख्यत: आयात पर आधारित होती है तथा वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आयातित फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होना संभावित

था। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने वैकल्पिक उर्वरकों की व्यवस्था तथा इनके उपयोग के प्रति कृषकों को जागरूक करने कार्यवाही बहुत पहले से ही प्रारंभ कर दी थी। फास्फेटिक उर्वरकों की कुल आंकलित मांग 6 लाख 90 हजार मेट्रिक टन के विरूद्ध वर्तमान तक 6 लाख 40 हजार मेट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरकों का समग्र रूप से भंडारण किया जा चुका है तथा कृषकों द्वारा 4 लाख 25 हजार मेट्रिक टन से अधिक का उठाव किया जा चुका है तथा अभी भी 2 लाख 14 हजार मेट्रिक टन से अधिक फास्फेटिक उर्वरक शेष है। यूरिया की कुल मांग 7 लाख 12 हजार मेट्रिक टन के विरूद्ध अभी तक 6 लाख मेट्रिक टन से अधिक का भंडारण किया जा चुका है तथा कृषकों द्वारा 4 लाख 37 हजार मेट्रिक टन से अधिक यूरिया उठाव के उपरांत 1 लाख 62 हजार मेट्रिक टन से अधिक यूरिया शेष है। नैनो तकनीक के माध्यम से निर्मित नैनो यूरिया एवं नैनो डी.ए.पी. के उपयोग की अनुशंसा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा भी की गई है तथा "विकसित कृषि संकल्प अभियान" के दौरान तथा वर्तमान में भी कृषकों को इन अनुशंसित तरल उर्वरकों के उपयोग हेतु निरंतर जागरूक किया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा नैनो उर्वरकों के उपयोग से कास्त लागत में कमी संबंधी अनुशंसा भी की गई है। राज्य की सहकारी समितियों तथा निजी विक्रय केन्द्रों में नैनो डी.ए.पी. की 1 लाख 79 हजार से अधिक बोलत (500 एम.एल.) का भंडारण किया जा चुका है तथा कृषकों द्वारा भी इनका पर्याप्त उठाव किया जा रहा है। उर्वरकों की मांग संपूर्ण फसल मौसम हेतु की जाती है तथा इनकी आपूर्ति निरंतर जारी है, इस स्थिति में उर्वरकों की कमी संबंधी कथन तथ्यात्मक नहीं है। राज्य शासन द्वारा डी.ए.पी. की मांग को संशोधित किये जाने संबंधी कथन भी सही नहीं है, अपितु वैश्विक कारणों से इसकी आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना के परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक एन.पी.के. एवं एस.एस.पी. उर्वरकों हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक के भंडारण की व्यवस्था की गई है तथा शासन इसमें सफल भी रहा है। एन.पी.के. उर्वरक के निर्धारित लक्ष्य 1 लाख 80 हजार मे.टन के विरूद्ध 2 लाख 5 हजार मे.टन से अधिक का भंडारण किया जा चुका है । (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार एस.एस.पी. के निर्धारित लक्ष्य 2 लाख मे.टन के विरूद्ध 2 लाख 71 हजार मे.टन से अधिक का भंडारण सुनिश्चित किया गया है । पोटाश के निर्धारित लक्ष्य 60 हजार मे.टन के विरूद्ध अभी तक 77 हजार मे.टन से अधिक म्यूरेट ऑफ पोटाश का भंडारण किया जा चुका है । डीएपी के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 1 लाख 63 हजार मे.टन से अधिक मात्रा भंडारित हो चुकी है तथा आपूर्ति निरंतर जारी है ।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी तुंहर तो कछु बुता नइ हे, युद्ध ला रोकवाये बर चल देवा ।

श्री रामविचार नेताम :- यूरिया उर्वरक का उपयोग बोनी के दौरान नहीं अपितु वानस्पतिक वृद्धि के दौरान किया जाता है । 6 लाख मे.टन से अधिक की उपलब्धता यूरिया की कमी होने संबंधी कथन को भी तथ्यहीन सिद्ध करती है । सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों का भंडारण प्राथमिकता के आधार पर कराया गया है तथा राज्य के सहकारी क्षेत्र में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता राज्य की कुल उपलब्धता का 62

प्रतिशत है । सहकारी समितियों एवं विभागीय माध्यमों से कुल 4 लाख 81 हजार 730 क्विंटल बीज का भंडारण कृषकों हेतु किया गया था जिसके विरूद्ध 4 लाख 43 हजार 452 क्विंटल बीज का उठाव कृषकों के द्वारा किये जाने के उपरांत 38 हजार क्विंटल से अधिक बीज सहकारी क्षेत्र में ही शेष है । राज्य शासन द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने सभी जिलों में सघन अभियान चलाया जा रहा है फलस्वरूप कृषकों को सभी प्रकार के उर्वरक निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने में सरकार सफल रही है ।

खरीफ 2024 में इसी अवधि में 20 लाख 53 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान तथा समग्र रूप से 23 लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सभी फसलों की बोनी की जा सकी थी । इस वर्ष अभी तक धान की बोनी 25 लाख 18 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तथा समग्र रूप से 28 लाख 64 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी सम्पन्न हो चुकी है जो गत् वर्ष की तुलना में 5 लाख हेक्टेयर अधिक है । कृषकों द्वारा गत् वर्ष की तुलना में अधिक क्षेत्राच्छादन किया जाना राज्य शासन द्वारा कृषि आदानों की पर्याप्त तथा समय पर की गई व्यवस्था को स्पष्ट रूप से पुष्ट करता है ।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य करने योग्य है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- धन्यवाद । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- रामकुमार डी.ए.पी. का क्या मतलब होता है यह बताओ। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- मोला मालूम है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- डी.ए.पी. का पूरा नाम पता है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् एवं शासन का वक्तव्य सुनने के बाद इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत होने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों की एक बड़ी समस्या है इस पर चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है । किसानों को डी.ए.पी. उपलब्ध नहीं करा पा रही है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- वाह, तुंहर डबल-तिबल इंजर सरकार हे ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जानबूझकर डी.ए.पी. उपलब्ध नहीं करा रही है ताकि किसानों का उत्पादन कम हो सके । (व्यवधान) अभी नीलामी करके जो 1900 रूपये में एक क्विंटल...। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- डी.ए.पी. का फुल फॉर्म क्या है ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहते हुए लगातार नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.27 से 12.38 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय

12.38 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

नियम 250 (1) के तहत् निलम्बन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 250(1) के तहत् निम्न सदस्य अपना स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं :-

1. डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल,
3. श्री उमेश पटेल,
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्री भोलाराम साहू
6. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
7. श्री दिलीप लहरिया
8. श्री रामकुमार यादव
9. श्री द्वारिकाधीश यादव
10. श्रीमती संगीता सिन्हा
11. श्री देवेन्द्र यादव
12. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
13. श्री अटल श्रीवास्तव
14. श्री राघवेन्द्र सिंह
15. श्री बालेश्वर साहू
16. श्रीमती शेषराज हरवंश
17. श्रीमती चातुरी नंद
18. श्रीमती कविता प्राण लहरे
19. श्री संदीप साहू
20. श्री इंद्र साव

21. श्री ओंकार साहू

22. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली 250(1) के तहत् माननीय सदस्यगण अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं।

समय :

12:40 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

(1) श्री अजय चंद्राकर

(2) श्री मोतीलाल साहू

(3) श्रीमती शेषराज हरवंश

(4) श्री राजेश अग्रवाल

(5) श्री ललित चंद्राकर

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज क्योंकि वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है, जैव विविधता और वेटलैंड संरक्षण पर भी वर्कशॉप है, हमको उस कार्यक्रम में भी पूरा समय देना है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है और सदन से निवेदन है कि ये जो ध्यानाकर्षण है, उसको कल के लिए किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- यदि सभी ध्यानाकर्षण कल होंगे तो मैं इससे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कल ध्यानाकर्षण के बारे में विचार कर लेंगे। सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2025 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(1 बजकर 41 मिनट पर विधान सभा मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 24, शक संवत् 1947) के पूर्वान्ह 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं